




फर्द अहकाम

अंजता बनाम गणेश कुमार चौधरी वगै०

दावा संख्या: 184/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.06.2024	<p>वकील वादी ने दावा बाबत स्थायी निपेधाज्ञा एवं सीमाज्ञान तथा पत्थरगढी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 15.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) </p>	
15/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उज्ज्वल / प्रतिवादी गण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 13/8/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) </p>	
31/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उज्ज्वल / प्रतिवादी गण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 13/8/24 को पेश हो।</p> <p>उपस्थित कक्ष अदालत वादी व उज्ज्वल अधिकारियों को बार-बार आवज लगाने की वजह से कक्ष को उपस्थित कक्ष के लक्ष्य का वाद डायम एक्सप्रेस में स्वारिज किया जाता है पत्रावली प्रोसेसल समाप्त होकर कक्ष को वाद रजिस्टर्ड नोटिस (दस्तावेज)</p> <p style="text-align: center;">  उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	

